

01-

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21-03-2021

आज दिनांक 21-03-2021 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अरुण चंद, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 21.03.21 को थाना क्षेत्र का एक शातिर जिला बदर अपराधी अमजद उर्फ टोनू पुत्र असलम निवासी निराला नगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को उसके घर पर मौजूद होने की सूचना मिली इस सूचना पर उसके घर पुलिस बल द्वारा पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर मुकदमा अपराध संख्या 58/21 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त -

अमजद उर्फ टोनू पुत्र असलम साकिन निराला नगर नरकटहा थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. शशांक कुमार सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
02. उ. नि. शेषनाथ यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
03. कां.अवनीश कुमार सिंह थाना कोतवाली।
04. का. श्यामसुंदर मौर्या थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट: दिनांक 21.03.2021

एक नफर वारण्टी गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के उन्मूलन के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी, शोहरतगढ़ के निर्देशन और श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.03.2021 को प्रभारी चौकी बढनी थाना ढेबरुआ मय हमराह पुलिस बल द्वारा परिवाद संख्या 181/19 धारा 138 NI ACT थाना ढेबरुआ से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकुमार पुत्र संतराम निवासी वार्ड नंबर 4, भट्टा मोहल्ला बढनी थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर को उसके घर से मुखवीरी सूचना के आधार पर पूर्वान्ह में गिरफ्तार कर मा. न्यायालय रवाना किया गया।

प्रेस नोट दिनांक:- 21.03.2021 थाना मिश्रौलिया

श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी, जनपद सिद्धार्थनगर व श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सि0नगर के आदेशानुसार आगामी त्योहार होली, नवरोज, शब-ए-बारात रमजान व आगामी त्रि-स्तरीय पंचायती चुनाव के दृष्टिगत थाना मिश्रौलिया पर श्री अजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मिश्रौलिया व आबकारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार व आबकारी निरीक्षक श्री राजेश आर्य व थाने के समस्त उपनिरीक्षक गण की मौजूदगी में थाने के ग्राम प्रहरियों के साथ मीटिंग कर उनको आगामी त्योहारों व पंचायत चुनावों के दृष्टिगत मीटिंग कर उच्चाधिकारीगण से प्राप्त आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया व आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक:- 21.03.2021

आज दिनांक 21/03/2021 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र नई किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 21/03/2021 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र /नई किरण का आयोजन किया गया । जिसमें कुल 07 पत्रावली या विचार प्रस्तुत हुई जिसमें 02 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए । परामर्श के बाद 02 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ । परामर्श के मुख्य परामर्शदाता, श्री शमशुल हक का सराहनीय योगदान रहा । निस्तारण में श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना, महिला मुख्य आरक्षी सरोज माला , महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी , महिला आरक्षी सविता सिंह, महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी रानी विश्वकर्मा, आरक्षी रोहित का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

1. लक्ष्मी पत्नी लवकुश निवासी चिल्हिया थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. निशा उर्फ प्रमिला पत्नी विशम्भर निवासी थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

दिनांक- 21.03.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना/कोतवाली बांसी, पथरा, जोगिया, भवानीगंज, डुमरियागंज का आकस्मिक निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश ।

आज दिनांक 21.03.2021 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी द्वारा थाना/कोतवाली बांसी, पथरा, जोगिया, भवानीगंज, डुमरियागंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, महोदय द्वारा संतरी ड्यूटी, मालखाना, सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, थाने के विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण गहनता से किया गया, सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर, भूमि-विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीड़न रजिस्टर, एससी0-एस0टी0 रजिस्टर एवं मालखाना रजिस्ट्रों का निरीक्षण किया गया प्रविष्टियां अपूर्ण पाए जाने पर अभिलेखों को तत्काल पूर्ण करने हेतु महोदय द्वारा निर्देशित किया गया । महोदय द्वारा वाहन चोरी, लूट, नकबजनी, चोरी, महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़/अपराध की घटनाओं पर रोकथाम एवं सघन चेकिंग हेतु सायंकाल नियमित एवं रूटीन फूट पेट्रोलिंग, एवं रात्रि में पैदल गश्त व पिकेट ड्यूटी हेतु निर्देशित किया गया । महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समस्त उप-निरीक्षकगण को अपने-अपने कुशल पर्यवेक्षण में पूर्णनिष्ठा एवं निष्पक्ष रूप से कार्यवाही कराते हुये बेहतर परिणाम उपलब्ध कराने एवं जनता के साथ स्वयं एवं समस्त स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाये हेतु निर्देशित किया गया ।

चोरी की घटना का अनावरण, अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी के रूपयों सहित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के उन्मूलन के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी, शोहरतगढ़ के निर्देशन और तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक देबरुआ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.03.2021 को उ0नि0 श्री विक्रम अजीत राय मय हमराह पुलिस बल व उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी स्वाट टीम मय हमराह पुलिस बल के संयुक्त रूप से मु0अ0स0 041/2021 धारा 380 आईपीसी थाना देबरुआ से सम्बन्धित अभियुक्त आशिफ पुत्र चिनके साकिन झण्डेनगर, कृष्णानगर थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु, नेपाल को डिहवा बढनी पुराना राईस मिल के पास से मुखवीर की सूचना के आधार पर विगत रात्रि समय करीब 02:05 बजे, गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद कारतूस और चोरी के रूपये बरामद हुए। उल्लेखनीय है कि दिनांक 12/13.3.2021 की रात्रि में बढनी निवासी डॉ. कल्पना विश्वास के बंद मकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। डॉ विश्वास अपनी पुत्री की शादी करने बेंगलोर गई थीं, उसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। समीर उर्फ शमशाद नामक एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आशिफ पुत्र चिनके साकिन झण्डेनगर, कृष्णानगर थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु, नेपाल।

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर, मय एक अदद जिन्दा कारतूस।
2. रू. 55,150/ नगद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अप.सं. 41/21 U/S 380,411 IPC थाना देबरुआ।
2. मु.अप.सं. 49/21 U/S 3/25 A ACT थाना देबरुआ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विक्रम अजीत राय, चौकी प्रभारी बढनी थाना देबरुआ।
2. उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी स्वाट टीम, सिद्धार्थनगर।
3. हे0का0 विजय यादव, चौकी बढनी थाना देबरुआ।
4. हे0का0 राजीव शुक्ला, स्वाट टीम सिद्धार्थनगर।
5. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव, स्वाट टीम, सिद्धार्थनगर।
6. का0 निशान्त कुमार, चौकी बढनी थाना देबरुआ।
7. का0 वीरेन्द्र त्रिपाठी, स्वाट टीम, सिद्धार्थनगर।
8. का0 पवन तिवारी, स्वाट टीम, सिद्धार्थनगर।
9. का0 मृत्युन्जय कुशवाहा, स्वाट टीम, सिद्धार्थनगर।
10. का0 अखिलेश यादव, स्वाट टीम, सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट - दिनांक - 21.03.2021

थाना -चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 21.03.2021 को श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया के नेतृत्व में थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त के पास से एक गैलन में 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 20/2021 धारा 60 आबकारी अधि. पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र रामकुमार चौधरी साकिन सूर्यकुडिया टोला जगरनाथपुर थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक गैलन में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. हे0का0 रमेश यादव,
2. हे0का0 जनार्दन पटेल
3. हे0का0 अब्दुल मन्नान खाँ
4. का0 राममिलन यादव

